भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 478

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

क्षेत्रीय श्री गाँधी आश्रम, मेरठ में खादी वस्त्रों का उत्पादन

478. **श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय ध्वज सहित खादी कपड़े का उत्पादन बंद करने और संगठन की मुख्य भूमि की बिक्री शुरु करने के विरोध में 09.10.2023 से क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मेरठ में धरना चल रहा था, जो 29.12.2024 को धरना तंबू में आग लगने तक जारी रहा;

(ख) क्या यह सच है कि कताई/बुनाई नहीं होने के कारण, संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारा कारीगरों के नाम पर अंतरित किया गया था, अर्थात् 2017-18 में 4733 कारीगरों, 2018-19 में 1326 कारीगरों, 2019-20 में 3477 कारीगरों, 2020-21 में 974 कारीगरों, 2021-22 में 2642 कारीगरों के नाम पर अंतरित किया गया था, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उत्पादन पुनः आरंभ करने तथा कारीगरों के बैंक केवाईसी को अद्यतन करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मेरठ (खादी संस्था) के बीच संबंध केवल ऋणदाता और उधारकर्ता प्रकृति के हैं, जिनका खादी संस्था के कामकाज पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है और वर्तमान मुकदमा पूर्णतः क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मेरठ (खादी संस्था) का आंतरिक मामला है।

तथापि, यह सूचित किया जाता है कि सरकार को क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मेरठ के सामान्य निकाय/कार्यकारी समिति के सदस्यों के बीच विवाद की जानकारी है, जिसके अनुसार दोनों समूह कानूनी रूप से निर्वाचित होने का दावा करते हैं, जिसके लिए मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम", गढ़ रोड, मेरठ (यूपी) ने वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही को छोड़कर, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिए एमएमडीए का दावा नहीं किया है, केवीआईसी द्वारा जिस पर विचार भी नहीं किया गया था।

(ग) चूंकि मामला केवीआईसी द्वारा नियुक्त प्रशासक को वापस लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए केवीआईसी इस मामले में आगे कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, केवीआईसी मामले का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

कारीगरों के बैंक केवाईसी को अद्यतन करने का मामला खादी संस्थान/कारीगरों से संबंधित है।

*****